

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3505

उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वायनाड को अनुदान

†3505. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले चार वर्षों के दौरान वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालयों को प्रदान किए गए अनुदानों का विद्यालयवार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत विशेषकर वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा और स्टार्स योजना के अंतर्गत, वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। तदुपरांत, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से, योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार, इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है/ अनुमान लगाया जाता है। अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के आधार पर, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघराज्य को केंद्रीय अंशदान की एकमुश्त राशि जारी की जाती है, न कि अलग से निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के लिए। इसके उपरांत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार इन निधियों का आबंटन और उपयोग

करते हैं, एवं अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के अनुसार, यथा अनुप्रयोज्य आवश्यकतानुसार ब्लॉकों, जिलों और स्कूलों को हस्तांतरित करते हैं।

समग्र शिक्षा और स्टार्स (राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना) योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में केरल राज्य को जारी की गई धनराशि में केंद्रीय अंश निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	समग्र शिक्षा	स्टार्स
1	2021-22	225.12	57.23
2	2022-23	178.16	64.22
3	2023-24	141.65	90.34
4	2024-25	-	122.24
कुल		544.93	334.03

(ख): समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत, जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म, स्कूल न जाने वाले बच्चों को आयु-अनुकूल मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण, तथा स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री के विकास सहित आईसीटी और डिजिटल पहलों के लिए उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में यथा अनुमोदित सहायता प्रदान की जाती है।

सुदूर जनजातीय निवासस्थानों में बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के लिए भी सहायता दी जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए लक्षित प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन), धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), सभी आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कुछ योजनाएं हैं, जिनमें वायनाड लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2024-25 के दौरान वायनाड जिले में दिनांक 15.01.2024 को पीएम-जनमन के अंतर्गत एक छात्रावास को अनुमोदित किया गया है।
